UPMZ010056162015

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C. Act 2003), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Shri Gopal Upadhayaya), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP05990**

सत्र परीक्षण संख्या–1172/2015

उत्तर प्रदेश सरकार ... अभियोजन पक्ष।

बनाम

1– धर्मवीर पुत्र श्री प्रभु,

2– रोहताश पुत्र श्री जयपाल,

3– सलेकचन्द पुत्र श्री श्यामलाल,

4– रविन्द्र पुत्र श्री कलीराम,

5– प्रदीप पुत्र श्री बिजेन्द्र,

6– नूर मौहम्मद पुत्र निसार अहमद,

7– उस्मान उर्फ आमरान पुत्र तैय्यब,

8– शाहजेब पुत्र अबरार,

9– सतीश पुत्र श्री चन्दू **(मृतक)**

10– मनोज पुत्र श्री घसीटा,

11– फारूख पुत्र जमील,

12– राकेश सैनी पुत्र श्री मंगलू सिंह,

13– दीपक पुत्र श्री चन्द्रबोस वाल्मीकि,

14– अक्षय पुत्र श्री राजेन्द्र,

15– धीरज उर्फ धीरेन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र,

16– गुलशन पुत्र श्री राजू,

17– मौ0 रफीक पुत्र निसार,

18– अनीस पुत्र सकूर अहमद,

19– शाहनवाज पुत्र हकीम,

20– फैसल पुत्र मौ0 अबरार,

21– विक्रम सैनी पुत्र श्री होशियार सैनी,

Digitally signed by Gopal Upadhyay
Date: 2022.10.11 18:18:14 IST
Reason: Judgement
Location: Addl.District and Sessions Court No.4, Mzn

22– सोनू पुत्र श्री विजयपाल,

23– दीपक पुत्र श्री बिजेन्द्र,

24– मौलाना मुकर्रम पुत्र मौसम अली उर्फ काला,

25– मौ0 अबरार पुत्र जहीरूद्दीन,

26– इमरान पुत्र तैय्यब,

27– बाबर पुत्र जब्बार उर्फ जफर,

28– मुकर्रम पुत्र मौ0 जब्बार उर्फ जफर,

समस्त निवासीगण ग्राम कवाल, कोतवाली जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर।

... अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध सं0–407/2013,
धारा–147,148,149,307,336,353,186,504,506 भा0दं0सं0व
धारा 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ड एक्ट,
थाना–जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर।

एवं

UPMZ010123222016

2. सत्र परीक्षण संख्या–578/2016

उत्तर प्रदेश सरकार ... अभियोजन पक्ष।

बनाम

1– फारूख पुत्र जमील उर्फ खलील, निवासी ग्राम कवाल, थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर।

अभियुक्त।

मुकदमा अपराध सं0–428/2013,
धारा–25 आयुध अधिनियम,
थाना–जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर।

निर्णय

1. थाना–जानसठ, जिला–मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण धर्मवीर पुत्र श्री प्रभु, रोहताश पुत्र श्री जयपाल, सलेकचन्द पुत्र श्री श्यामलाल, रविन्द्र पुत्र श्री

कलीराम, प्रदीप पुत्र श्री बिजेन्द्र, नूर मौहम्मद पुत्र निसार, उस्मान उर्फ आमरान पुत्र तैय्यब, साजिद पुत्र अबरार, सतीश पुत्र श्री चन्दू, मनोज पुत्र श्री घसीटा, फारूख पुत्र जमील, राकेश पुत्र श्री मंगलू, दीपक पुत्र श्री चन्द्रबोस वाल्मीकि, अक्षय पुत्र श्री राजेन्द्र, धीरज पुत्र श्री राजेन्द्र, गुलशन पुत्र श्री राजू, मौ0 रफीक पुत्र निसार, अनीस पुत्र सकूर अहमद, शाहनवाज पुत्र हकीम, फैसल पुत्र अबरार, विक्रम सैनी पुत्र श्री होशियार, सोनू पुत्र श्री विजयपाल, दीपक पुत्र श्री बिजेन्द्र, मौ0 मुकर्रम पुत्र मौसम अली उर्फ काला, मौ0 अबरार पुत्र जहीरूद्दीन, इमरान पुत्र तैय्यब, बाबर पुत्र जब्बार उर्फ जफर व मुकर्रम पुत्र जब्बार उर्फ जफर के विरूद्ध मु0अ0सं0–407/2013 अन्तर्गत धारा–147,148,149,307,336,353,186,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ड एक्ट, थाना–जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर व अभियुक्त फारूख पुत्र जमील उर्फ खलील के विरूद्ध मु0अ0सं0–428/2013, अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना–जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत आरोप–पत्र अवर न्यायालय में प्रेषित किये जाने पर उपरोक्त प्रकरण न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–1 मुजफ्फरनगर व न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के आदेशानुसार सत्र न्यायालय सुपुर्द किये गये। उपरोक्त प्रकरण सत्र न्यायालय सुपुर्द किये जाने के उपरान्त बाद अंतरण पत्रावली इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ तथा अभियुक्तगण उपरोक्त का विचारण न्यायालय द्वारा प्रारम्भ हुआ।

2. इस केस से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.08.2013 को वह प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार शर्मा मय अन्य पुलिस कर्मचारीगण के वास्ते शांति व्यवस्था ड्यूटी में ग्राम कवाल में मामूर था कि समय लगभग 12:00 बजे दिन सूचना प्राप्त हुई कि मौहल्ला भूमिया हिन्दू व मुस्लिम समाज के कल कवाल मे हुई तोड़फोड़ के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित फोटो को लेकर आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए आपस में भिड़ गये हैं और उनके मध्य पथराव हो रहा है। इस सूचना पर वह प्रभारी निरीक्षक मय हमराही पुलिस बल व गांव कवाल में शांति व्यवस्था में लगे कुछ अन्य पुलिस बल को सहायतार्थ हमराह लेकर घटनास्थल मौहल्ला भूमिया में मकान अनीस के पास पहुंचा तो देखा कि अनीस व अबरार के मकानों पर चढ़े मुस्लिम पक्ष के लोगों व पास में स्थित राजेन्द्र व चन्द्रबोस वाल्मीकि की मकान की छतों व नीचे एकत्रित हिन्दू समाज के लोग एक–दूसरे पर पथराव कर रहे हैं व हाथों

में लाठी–डण्डे, भाले, बलकटी, तलवार व नाजायज असलाह लिये हुये हैं और एक–दूसरे को मारने पर उतारू हैं व एक–दूसरे के उपर साम्प्रदायिकता फैलाने वाले एवं समाज में घृणा फैलाने वाले नारे लगाते हुए अपने–अपने पक्ष के लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं। इस पर उसके व हमराह पुलिस बल द्वारा शांति व्यवस्था कायम करने के आशय से उभय पक्षों को समझाने का काफी प्रयास किया, परन्तु दोनों पक्ष अपनी हरकत से बाज नहीं आये और तेज आवाज में उत्तेजित होकर कहने लगे कि पुलिस वालों बीच से अलग हट जाओ वह आज अपना फैसला खुद ही करके हटेंगे। इस पर प्रभारी निरीक्षक ने पुनः दोनों पक्षों से शांति बनाये रखने की अपील की, जिसे अनसुनी करते हुए दोनों पक्षों ने एक राय होकर पुलिस वालों पर व आपस में एक–दूसरे पर जान से मारने की नीयत से पथराव व नाजायज असलहों से फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान मौलाना मुकर्रम अपनी लाईसेंसी रायफल हाथ में लिये अपने 8–10 समर्थकों के साथ ले लो, मार डालो, काट डालो, इन काफिरों को आज मिटा दो और अपनी लाईसेंसी रायफल से फायरिंग शुरू कर दी। जिस पर हिन्दू समाज के दीपक आदि ने भी नाजायज असलहों से फायरिंग शुरू कर दी। इस पर उसके द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से आवश्यक बल प्रयोग करते हुए मौके पर झगडा फसाद कर रहे लोगों में से धर्मवीर पुत्र प्रभु को मय एक बल्लम, सलेकचन्द पुत्र श्यामलाल सैनी को मय एक बल्लम, रविन्द्र पुत्र कलीराम सैनी को मय एक फरसा, विक्रम सैनी पुत्र होशियार सिंह सैनी को मय एक बलकटी, रोहताश पुत्र जयपाल, सोनू पुत्र विजयपाल, दीपक पुत्र बिजेन्द्र, प्रवीण पुत्र बिजेन्द्र सैनी, नूर मौहम्मद पुत्र निसार को मय एक खडग तलवारनुमा समस्त निवासी कवाल, थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर को मौके पर ही समय करीब 12:30 बजे दिन पकड़ लिया, जबकि झगडा कर रहे मनोज सैनी पुत्र घसीटा सैनी, सतीश प्रजापति पुत्र चन्दू, राकेश सैनी पुत्र मंगल, दीपक पुत्र चन्द्रबोस वाल्मीकि, अक्षय पुत्र राजेन्द्र वाल्मीकि, गुलशन पुत्र राजू, मुकर्रम पुत्र मौसम अली उर्फ काला, मौ0 रफीक पुत्र निसार, अनीस पुत्र शकूर अहमद, अबरार पुत्र जहीरूदीन टैन्ट वाला, बाबर पुत्र जब्बार उर्फ जफर, फारूख पुत्र जमील, अकील पुत्र जहीरूद्दीन, साजिब पुत्र अबरार, फैसल पुत्र अबरार, इमरान पुत्र तैय्यब, आमरान पुत्र तैय्यब, मुकर्रम पुत्र जब्बार उर्फ जफर व 30–40 लोग अज्ञात सूरत शिनाख्त, निवासी गांव कवाल मौके से भाग गये। हाथ नहीं आये। भागे मुल्जिमान को चौकी प्रभारी कवाल एस0आई0 श्री कलीराम व राजेन्द्र प्रसाद,

भगवान सहाय ने अच्छी तरह से देखा व पहचाना है, जिन्हें वह पूर्व से जानते व पहचानते हैं व अज्ञात भागे हुए व्यक्तियों को सामने आने पर पहचान सकते हैं। घटनास्थल से 3 खोखा 315 बोर ताजे चले हुए व दो बुलट 315 बोर बरामद हुये, जिन्हें मौके पर ही सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया व लाठी फरसा आदि की चिटबन्दी की गयी। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली जानसठ द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया।

3. उक्त तहरीर व फर्द बरामदगी के आधार पर थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर पर प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट चिक दिनांक 29–08–2013 को समय 14:20 बजे अंकित की गयी, जिसका खुलासा उक्त दिनांक को ही जी0डी0 में करके अभियुक्तगणों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 336, 153ए, 504, 506, 353, 186 भा0दं0सं0 व 7 क्रिमिनल लॉ एमे0 एक्ट में मुअ0सं0 407/2013 पंजीकृत किया गया। प्रकरण के विवेचक ने दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर मुकदमा अपराध संख्या–407/2013 व मु0अ0सं0 428 सन् 2013 में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप–पत्र क्रमशः अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 336, 504, 506, 353, 186 भा0दं0सं0 व 7 क्रिमिनल लॉ एमे0 एक्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्त फारूख की जामा तलाशी व हथियार बरामदगी के सम्बन्ध में फर्द बरामदगी प्रदर्श क–5 पत्रावली पर मौजूद है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 29.09.2013 को वह प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार शर्मा मय एस0आई0 राजेन्द्र सिंह भडाना व अन्य पुलिस कर्मचारीगण के थाने से रपट नम्बर 44 समय 19:05 बजे वास्ते दबिश, तलाश वांछित अपराधी मु0अ0सं0 407/13, धारा 147, 148, 149, 307, 336, 153ए, 504, 506, 353 भा0दं0सं0 व 7 क्रिमिनल लॉ एमे0 एक्ट गिरफ्तारी तहरीर विवेचक के आधार पर गांव कवाल में वांछित अभियुक्त फारूख पुत्र जमील उर्फ खलील, निवासी कवाल, थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर के मस्कन पर दबिश दी गयी। अभियुक्त अपने मकान पर मिला, जिससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम फारूख पुत्र जमील उर्फ खलील, निवासी कवाल, थाना जानसठ बताया तथा इसके कब्जे चारपाई से एक देशी रायफल 315 बोर व पहनी कमीज से दो कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुये। अभियुक्त को उसके

जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 19:45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि यह रायफल घटना दिनांक 29.08. 2013 को मौलाना मुकर्रम द्वारा चलायी गयी थी तथा पुलिस के आने की सूचना पर मुकर्रम रायफल उसे देकर भाग गया था। गिरफ्तारी के समय आसपास के काफी व्यक्ति इकट्ठा हो गये। मौके पर असमंजस तथा तनाव की स्थिति पैदा हो गयी। मौजूद व्यक्तियों को गवाही देने से मना कर दिया। अतः बरामदा रायफल व कारतूसों को मौके पर एक कपड़े में सील सर्वे मुहर कर नमूना मोहर लेकर प्रभारी निरीक्षक द्वारा फर्द बोल–बोलकर टॉर्च की रोशनी में एस0आई0 राजेन्द्र सिंह भडाना से लिखवायी गयी। फर्द मजमून हमराही को पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहान करायी गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना मौके पर ही इसके पिता खलील को दी गयी। अभियुक्त के कब्जे से नाजायज रायफल व कारतूस बरामद होना जुर्म धारा 25 आर्म्स एक्ट की हद को पहुंचता है। गिरफ्तारी के समय मानवाधिकारों के आदेश व निर्देशों का पालन किया गया। उक्त तहरीर व फर्द बरामदगी के आधार पर थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर पर अभियुक्त फारूख के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट में मु0अ0सं0 428 सन् 2013 पंजीकृत किया गया। प्रकरण के विवेचक ने दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर मुकदमा अपराध संख्या–428 सन् 2013 में अभियुक्त फारूख के विरुद्ध आरोप–पत्र धारा 25 आर्म्स एक्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. उपरोक्त मु0अ0सं0 407/13, धारा 147, 148, 149, 307, 336, 153ए, 504, 506, 353 भा0दं0सं0 व 7 क्रिमिनल लॉ एमे0 एक्ट तथा मु0अ0सं0–428 सन् 2013 धारा 25 आर्म्स एक्ट एक–दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण दोनों पत्रावलियों को विचारण एक साथ किया गया।

6. अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने के उपरान्त विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 07–09–2017 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

अभियुक्त सतीश पुत्र श्री चन्दू की मृत्यु दौरान वाद हो जाने पर उसके विरूद्ध मुकदमा दिनांक 13.07.2022 को उपशमित किया गया।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0–1 कां0 1486 सचिन

चौधरी, पी0डब्लू0–2 सेवानिवृत्त एस0आई0 शाहिद अली, पी0डब्लू0–3 सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, पी0डब्लू0–4 एच0सी0 12 प्रताप सिंह, पी0डब्लू0–5 सेवानिवृत्त एस0आई0 राजेन्द्र सिंह, पी0डब्लू0–6 कां0 राजेन्द्र प्रसाद, पी0डब्लू0–7 सेवा निवृत्त एस0आई0 श्री श्याम सिंह यादव, पी0डब्लू0–8 एस0आई0 श्री नरेन्द्र सिंह, पी0डब्लू0–9 रिटायर्ड उप निरीक्षक श्री कलीराम परीक्षित कराये गये।

8. अभियोजन की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप प्रदर्श क–1 मृत्यु रिपोर्ट सतीश, प्रदर्श क–2 प्रथम सूचना रिपोर्ट, रिकॉर्डकीपर की आख्या प्रदर्श क–3, जी0डी0 की कार्बन प्रति प्रदर्श क–4, नक्शा नजरी प्रदर्श क–5, फर्द जामा तलाशी व बरामदगी प्रदर्श क–5, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण प्रदर्श क–6, प्रथम सूचना रिपोर्ट विरूद्ध अभियुक्त फारूख प्रदर्श क–7, रिकॉर्डकीपर की आख्या प्रदर्श क–8, जी0डी0 की कार्बन प्रति प्रदर्श क–9, नक्शा नजरी मु0अ0सं0 428/13 प्रदर्श क–10, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्त फारूख प्रदर्श क–11, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मुकदमा चलाने जाने हेतु अनुमति प्रदर्श क–12, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–13, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–14, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–15, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–16, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–17, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–18, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–19, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–20, प्रस्तुत किये गये।

9. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने कथन किया कि गलत आरोप लगाया गया। कोई बरामदगी नहीं हुई। फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। फर्जी आधारों पर एफ0आई0आर0 दर्ज की है। अफसरों के दबाव में झूठी एफ0आई0आर0 की गयी। गलत विवेचना की, गलत नक्शा नजरी बनायी है। गिरफ्तारी फर्जी है। आरोप पत्र गलत प्रेषित किया। फर्जी विवेचना की तथा सभी हथियार फर्जी लगाये हैं। गलत आख्या प्रस्तुत की गयी। मुकदमा रंजिशन पार्टीबाजी के आधार पर चलना कहा तथा उनके द्वारा निर्दोष होने व रंजिशन झूठा फंसाये जाने का कथन किया गया है।

निष्कर्ष

10. मैंने विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

11. प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिंदु यह है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 29–08–2013 को समय 12:00 बजे से 12:30 बजे तक स्थान ग्राम कवाल,

मौ0 भूमिया अन्तर्गत क्षेत्र थाना जानसठ में सामान्य आशय के अग्रसरण हेतु पुलिस दल व आपस में एक–दूसरे को उपहति कारित करने के लिये विधि विरूद्ध जमाव किया व एक–दूसरे को उपहति कारित करने के लिये घातक आयुध, आग्नेयास्त्र से लैस होकर विधि विरूद्ध जमाव किया, आग्नेयास्त्र से यह जानते हुए फायर किये कि यदि उक्त फायर से किसी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते। एक–दूसरे व पुलिस दल पर पथराव कर मानव जीवन संकटापन्न किया। पुलिस दल को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करते के लिये आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा पुलिस दल के लोक कृत्यों में बाधा डाली तथा एक–दूसरे को गालियां देकर अपमानित किया तथा एक–दूसरे को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया तथा अभियुक्तगण द्वारा एक–दूसरे की हत्या करने के आशय से अवैध तथा घातक हथियारों से लैस होकर मौके पर उपस्थित पुलिस व अन्य को भयभीत करने के आशय/उद्देश्य से बलवा किया।

12. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 कां0 1486 सचिन चौधरी को पेश किया गया। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि दिनांक 29.08.2013 को वह थाना जानसठ पर बतौर कां0 तैनात था। उपरोक्त दिनांक को वह प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार के साथ मय एस0आई0 शाहिद अली, एस0आई0 कलीराम, एस0आई0 गंगाशरण गौतम, कां0 विपिन कुमार व कां0 नितिन कुमार तथा कां0 अय्यूब अली के साथ सरकारी जीप से शान्ति व्यवस्था ड्यूटी कवाल में मामूर थे। लगभग 12 बजे दिन सूचना मिली कि भूमिया मौहल्ले में 28.08.2013 को कवाल में हुई तोड़फोड़ का समाचार प्रकाशित होने पर आपस में आरोप प्रत्यारोप करते हुये आपस में पथराव हिन्दू मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। इस सूचना पर घटनास्थल पर अनीस के मकान पर पहुंचे तो देखा कि अनीस व अबरार के मकानों पर चढ़े मुस्लिम समाज के लोग तथा राजेन्द्र व चन्द्रबोस के मकानों की छत पर व नीचे खड़े हिन्दू समाज के लोग आपस में पथराव कर रहे हैं और हाथों में लाठी–डण्डे, बल्लम, बलकटी तलवार व नाजायज असलाह लेकर एक–दूसरे को जान से मारने पर उतारू हैं और समाज में साम्प्रदायिक तनाव व घृणा फैलाने हेतु उत्तेजित कर रहे हैं। पुलिस वालों ने काफी समझाने का प्रयास किया, नहीं माने और कहने लगे कि पुलिस वालों बीच से हट जाओ, आज फैसला होने दो। दोनों पक्षों में आपस में एक–दूसरे के उपर जान से मारने की नीयत से

पथराव व फायरिंग शुरू कर दी। मौलाना मुकर्रम लाईसेंसी रायफल लेकर अपने आठ–दस समर्थकों के साथ यह कहते हुए कि मार डालो, इन काफिरों को, मौके पर आ गया और फायरिंग शुरू कर दी। दीपक ने भी नाजायज असलाह से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वालों ने आवश्यक बल प्रयोग कर धर्मवीर को मय एक बल्लम बांस की लाठी में जडी हुई, सलेकचन्द्र को बलकटी, रविन्द्र को फरसा, विक्रम सैनी को बलकटी, रोहताश, सोनू व दीपक पुत्र बिजेन्द्र व प्रदीप तथा नूर मौहम्मद को एक–एक अदद खडग तलवारनुमा, समस्त निवासीगण ग्राम कवाल को मौके पर समय करीब 12:30 बजे पकड़ लिया तथा मनोज, सतीश, राकेश, दीपक पुत्र चन्द्रबोस, अक्षय, धीरज, गुलशन, मौ0 रफीक, अनीस, अबरार, बाबर, शाहनवाज, फारूख, अकील, शाहजेब, फैसल, इमरान, उस्मान उर्फ कामरान, मुकर्रम पुत्र जब्बार, मुकर्रम पुत्र मौसम अली तथा 30–40 लोग अन्य अज्ञात मौके से भाग गये थे, जो हाथ नहीं आये, जिन्हें एस0आई0 कलीराम व कां0 राजेन्द्र प्रसाद व कां0 भगवान सहाय ने देखा व पहचाना था। मौके से तीन खोखा कारतूस ताजे चले हुये 315 बोर, 2 बुलेट 315 बोर बरामद हुई, जिनको मौके पर कपडे में सील सर्वे मुहर किया तथा लाठी, डण्डे व फरसा आदि की चिटबन्दी की। इसके बाद गिरफ्तारशुदा मुल्जिम व बरामदा सामान को लेकर थाने गये और प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार ने मुकदमा कायम कराया।

13. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 सेवानिवृत्त एस0आई0 शाहिद अली ने साक्ष्य दिया कि दिनांक 29.08.2013 को वह थाना जान्सठ पर बतौर एस0आई0 तैनात था। उस दिन वह प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार, एस0आई0 कलीराम, एस0आई0 गंगाशरण, कां0 विपिन, कां0 नितिन, कां0 अय्यूब अली व कां0 सचिन के साथ थाने से सरकारी जीप से गांव कवाल में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में मामूर थे। समय करीब 12 बजे दिन सूचना मिली कि 28.08.2013 को कवाल के भूमिया मौहल्ले में तोड़फोड का समाचार प्रकाशित होने पर हिन्दू–मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में आरोप–प्रत्यारोप करते हुए एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। वह सभी इस सूचना पर अनीस व अबरार के मकान के पास पहुंचे तो वहां छतों पर नीचे मुस्लिम समुदाय के लोग तथा राजेन्द्र व चन्द्रबोस के मकानों की छत पर व नीचे हिन्दू समुदाय के लोग आपस में पथराव कर रहे थे तथा लाठी, डण्डे, बलकटी, बल्लम व अवैध असलाह से एक–दूसरे को जान से मारने पर उतारू हैं और एक–दूसरे को घृणा व साम्प्रदायिक तनाव के लिये उत्तेजित कर रहे हैं। उन लोगों ने काफी समझाने का

प्रयास किया तो कहने लगे कि पुलिस वालों बीच से हट जाओ और एक–दूसरे के उपर जान से मारने की नीयत से पथराव व फायरिंग करने लगे। इसी दौरान मौलाना मुकर्रम अपने 8–10 साथियों के साथ लाईसेंसी रायफल लेकर आ गये और ''मार डालो इन काफिरों को'' वगैरह कहते हुए फायिरंग शुरू कर दी। दीपक ने भी नाजायज असलाह से फायरिंग की थी। पुलिस वालों ने जान की परवाह न करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर धर्मवीर को बल्लम, सलेक चन्द को बलकती, रविन्द्र को फरसा, विक्रम सैनी को बलकटी, रोहताश, सोनू, दीपक पुत्र बिजेन्द्र तथा नूर मौ0 को एक–एक तलवारनुमा खड़ग, समस्त निवासीगण कवाल को मौके पर समय 12:30 बजे दिन पकड़ लिया। मनोज, सतीश, राकेश, दीपक पुत्र चन्द्रबोस, अक्षय, धीरज, गुलशन, मौ0 रफीक, अनीस, अबरार, बाबर, शाहनवाज, फारूख, शाहजेब, अकील, फैसल, इमरान, उस्मान, मुकर्रम पुत्र जब्बार, मुकर्रम पुत्र मौसम अली तथा अन्य 30–40 आदमी अज्ञात मौके से भाग गये, जो हाथ नहीं आये। एस0आई0 कलीराम, भगवान सहाय ने उन्हें देखा व पहचाना था। मौके से 3 खोखे कारतूस 315 बोर, 2 बुलट 315 बोर बरामद हुई, जिन्हें सील सर्वे मुहर किया गया। लाठी–डण्डे वगैरह की चिटबन्दी की गयी। गिरफ्तारशुदा मुल्जिमान व असलाह को लेकर थाने आये। प्रभारी निरीक्षक ने मुकदमा कायम कराया।

14. अभियोजन की तरफ से पेश किए गए साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक, शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 29.08.2013 को वह थाना जानसठ पर प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन वह एस0आई0 गंगाशरण, एस0आई0 शाहिद अली, एस0आई0 कलीराम, कां0 सचिन, कां0 विपिन, कां0 अय्यूब अली व कां0 नितिन के साथ सरकारी जीप से गांव कवाल में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में मामूर थे। करीब 12 बजे दिन सूचना मिली कि 28.08.2013 की

घटना का प्रकाशन समाचार पत्रों में होने पर भूमिया मौहल्ले में हिन्दू व मुस्लिम समाज के लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप करते हुए आपस में पथराव कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर वह सभी घटनास्थल अनीस व अबरार के मकान पर पहुंचे तो देखा कि उनके मकान की छतों पर व नीचे मौजूद मुस्लिम समाज के लोग राजेन्द्र व चन्द्रबोस के मकानों की छत पर व नीचे मौजूद हिन्दू समाज के लोगों से आपस में लाठी–डण्डे, तलवार व बलकटी तथा नाजायज असलाह लिये हुये आपस में जान से मारने की नीयत से पथराव कर रहे हैं और एक दूसरे को जान से मारने पर उतारू

हैं। उन्होंने बाबुलन्द आवाज दोनों पक्षों को समझाने का काफी प्रयास किया, परन्तु सभी नहीं माने और यह बोलते हुए कि पुलिस वालों बीच से हट जाओ वह आज खुद ही फैसला कर लेंगे और पुनः पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान मौलाना मुकर्रम भी अपनी लाईसेंसी रायफल तथा 8–10 साथियों के साथ मौके पर आ गया और यह कहते हुए ''मार डालो, काट डालो इन काफिरों को'' फायरिंग शुरू कर दी। दीपक पुत्र चन्द्रबोस ने भी नाजायज असलाहों से फायरिंग की। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर धर्मवीर को बल्लम, सलेकचन्द को बल्लम, रविन्द्र को फरसा, विक्रम सैनी को बलकटी, रोहताश, सोनू, दीपक, प्रदीप व नूर मौ0 को एक–एक खड़ग तलवारनुमा, समस्त निवासीगण कवाल को मौके पर समय करीब 12:30 बजे दिन पकड़ लिया। इस दौरान मनोज सैनी, सतीश, राकेश, दीपक पुत्र चन्द्रबोस, अक्षय, धीरज, गुलशन, मौ0 रफीक, अनीस, अबरार, बाबर, शाहनवाज, फारूख, शाहजेब, अकील, फैसल, इमरान, उस्मान, मुकर्रम पुत्र जब्बार, मुकर्रम पुत्र मौसम अली तथा अन्य 30–40 आदमी अज्ञात मौके से भाग गये, जिन्हें चौकी प्रभारी एस0आई0 कलीराम, कां0 भगवान सहाय तथा कां0 राजेन्द्र प्रसाद ने देखा व पहचाना। घटनास्थल से 3 खोखे 315 बोर ताजे चले हुये, 2 बुलेट 315 बोर बरामद हुये, जिन्हें मौके पर कपड़े में रखकर सील सर्वे मुहर किया। हिरासत में लिये व्यक्तियों से बरामदा हथियारों की चिटबन्दी की। उसके बाद मुल्जिमान तथा बरामदा हथियारों को लेकर थाने आये व मुकदमा कायम किया। घटना के दौरान मुल्जिमान से जो माल मुकदमा बरामद हुआ वह सीलबन्द प्लास्टिक का कट्टा खोला गया, जिसमें से एक खडग तलवारनुमा निकली, गवाह ने कहा कि यह मुल्जिमान रोहताश, सोनू, दीपक प्रदीप व नूर मौ0 से मौके पर बरामद हुई थी। इस पर वस्तु प्रदर्श–1 के रूप में साबित किया गया। कट्टे में से एक बलकटी निकली, गवाह ने कहा कि यह विक्रम सैनी से बरामद हुई थी। इसे वस्तु प्रदर्श–2 के रूप में साबित किया गया। कट्टे में से ही एक फरसा निकला, गवाह ने कहा कि यह मौके पर रविन्द्र से बरामद हुआ था। इसे वस्तु प्रदर्श–3 के रूप में साबित किया गया। कट्टे में से एक बल्लम निकली, जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह धर्मवीर से बरामद हुई थी। इसे वस्तु प्रदर्श–4 के रूप में साबित किया गया। कट्टे में से ही एक बल्लम 6 गांठ वाली निकली, जो मुल्जिम सलेम से बरामद हुई थी। जिसे वस्तु प्रदर्श–5 के रूप में साबित किया गया। दिनांक 29.09.2013 को वह हमराहीयान के साथ गांव कवाल में वांछित

अपराधी फारूख को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चारपाई से एक देशी रायफल 315 बोर तथा पहनी कमीज की जेब से दो जिन्दा कारतूस 315 बोर शाम 07:45 बजे बरामद हुये। उसने बताया कि यह रायफल 29.08.2013 को घटना के दिन मौलाना मुकर्रम द्वारा चलायी गयी थी। मौके पर आसपास के काफी लोग इकट्ठा हो गये, लेकिन गवाह देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। मौके पर बरामदा रायफल व कारतूसों को कपड़े में रखकर सील मुहर किया गया। टॉर्च की रोशनी में एस0आई0 राजेन्द्र सिंह भडाना ने बोल–बोलकर फर्द तैयार करायी। पढ़कर सुनाकर हमराहीयान के हस्ताक्षर कराये। फर्द की एक प्रति मुल्जिम को देकर उसके हस्ताक्षर कराये और अपने हस्ताक्षर किये। गवाह ने एस0टी0 578/16 की पत्रावली पर पेपर संख्या–5 फर्द की शिनाख्त की तथा उसे मौके पर एस0आई0 राजेन्द्र सिंह भडाना से बोल–बोलकर तैयार कराना बताया। जिसे प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया गया। एक देशी रायफल, दो जिन्दा कारतूस 315 बोर के बारे में गवाह ने बताया कि यह मौके से मुल्जिम फारूख से बरामद हुये थे। रायफल को वस्तु प्रदर्श–6 व कारतूसों को वस्तु प्रदर्श 7 व 8 के रूप में साबित किया गया। कपड़े पुलिन्दा को वस्तु प्रदर्श 9 के रूप में साबित किया गया।

15. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–4 एच0सी0 12 प्रताप सिंह ने बयान दिया है कि दिनांक 29.08.2013 को वह थाना जानसठ पर बतौर कां0/क्लर्क तैनात था। उस दिन प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा के जुबानी बोलने पर उसने थाने पर मु0अ0सं0 407/2013, धारा 147, 148, 149, 307, 336, 353, 186, 504, 506, 153ए भा0दं0सं0 तथा 7 कि0 लॉ एमेन्डमेंड एक्ट कायम किया। चिक एफ0आई0आर0 संख्या–194/13 तैयार की, जो पत्रावली पर पेपर संख्या–4क/1 है। इसे प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया। इसका खुलासा रोजनामचा आम की रपट संख्या–23, समय 14/20 दिनांक 29.08.2013 पर किया। मूल जी0डी0 समयावधि समाप्त हो जाने के कारण नियमानुसार नष्ट की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय एस0एस0पी0, मुजफ्फरनगर के रिकॉर्डकीपर की आख्या दाखिल करता है। इसे प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया गया। मूल जी0डी0 तैयार करते समय कार्बन लगाकर एक ही प्रक्रिया में तैयार की थी जो पत्रावली पर पेपर संख्या–5/2 है, जिसे उसके द्वारा प्रमाणित किया गया, इसे प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया गया।

16. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–5 सेवानिवृत्त एस0आई0 राजेन्द्र सिंह

भडाना द्वारा न्यायालय में सशपथ बयान किया कि दिनांक 29.08.2013 को वह थाना जानसठ पर एस0आई0 के पद पर तैनात था। उस दिन थाने पर मु0अ0सं0 407/2013, धारा 147, 148, 149, 307, 336, 353ए, 504, 506, 353, 186 भा0दं0सं0 तथा 7 कि0 लॉ एमेन्डमेंड एक्ट कायम हुआ और उसकी विवेचना उसके सुपुर्द की गयी। उसी दिन थाना कार्यालय से मुकदमे की चिक जी0डी0 प्राप्त की और उनकी नकल केस डायरी में की। थाने पर कां0/क्लर्क प्रताप सिंह के बयान अंकित किये तथा गिरफ्तारशुदा मुल्जिम धर्मवीर, सलेकचन्द, रविन्द्र, विक्रम सैनी, रोहताश, सोनू, दीपक, प्रदीप तथा नूर मौ0 के बयान अंकित किये। उसी दिन हवालात में बन्द मुकर्रम पुत्र मौसम अली के बयान अंकित किये। दिनांक 30.08.2013 को अभियोगी शैलेन्द्र कुमार, प्रभारी निरीक्षक, जानसठ गवाह एस0आई0 शाहिद अली, कां0 सचिन कुमार, कां0 विपिन कुमार, कां0 नितिन कुमार तथा कां0 अय्यूब अली के बयान अंकित किये तथा अभियोगी के साथ घटनास्थल पहुंच कर उसकी निशानदेही पर मौके का निरीक्षक किया तथा नक्शा नजरी तैयार किया, जो उसके द्वारा प्रमाणित है जिसे प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया गया।

17. अभियोजन के अगले साक्षी पी0डब्लू0–6 एच0सी0 राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सशपथ बयान दिया कि दिनांक 29.08.2013 को वह पुलिस चौकी कवाल थाना जानसठ पर बतौर कां0 तैनात था। उस दिन करीब 12 बजे दिन सूचना मिली थी कि गांव कवाल में 28.08.2013 को हुई तोड़फोड का समाचार अखबारों में प्रकाशित होने को लेकर मौहल्ला भूमिया में अनीस व अबरार के मकानों पर मुस्लिम समुदाय के लोग तथा राजेन्द्र व चन्द्रबोस के मकानों के सामने हिन्दू समुदाय के लोग खड़े हैं, जो हाथों में नाजायज असलाह लिये हैं, एक–दूसरे पर घृणा फैलाने वाले नारे लगा रहे हैं तथा पथराव कर रहे हैं। वह, एस0आई0 कलीराम व कां0 भगवान सहाय के साथ मौके पर पहुंचा वहां पर कोतवाल साहब व काफी पुलिस बल दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, कोई नहीं माना तथा तेज आवाजों में कहने लगे कि पुलिस वालों हट जाओ आज वह खुद ही फैसला कर लेंगे। इसी दौरान मुकर्रम रायफल लिये हुये अपने समर्थकों के साथ आ गया और आज इन काफिरो को मिटा दो वगैराह–वगैराह कहते हुए फायरिंग शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक महोदय ने झगड़ा कर रहे धर्मवीर, सलेकचन्द, रविन्द्र, विक्रम सैनी, रोहताश, सोनू, नूर मौ0 वगैराह को लाठी–डण्डे तलवार वगैराह के साथ पकड़ा। मुकर्रम, शाहजेब, फैसल, शाहनवाज, आमरान, अबरार,

फारूख, दीपक, सतीश, धीरज, राकेश वगैराह मौके से भाग गये। घटनास्थल से 3 खोखे 315 बोर, 2 बुलेट 315 बोर कोतवाल साहब ने कब्जा पुलिस लिये और सभी कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान को लेकर कोतवाल साहब थाना जानसठ चले गये। दिनांक 29.08.2013 को मौके से मुल्जिमान विक्रम सैनी, रविन्द्र, धर्मवीर, रोहताश, सोनू, दीपक, सलेकचन्द, प्रदीप तथा नूर मौ0 को गिरफ्तार किया गया था तथा मुल्जिम मौलाना मुकर्रम पुत्र मौसम अली को भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी मेमो इन्सपेक्टर साहब शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने उसके सामने तैयार की थी, जो पत्रावली पर पेपर संख्या–19 व 20 है। उनके द्वारा प्रमाणित है, जिसे क्रमशः प्रदर्श <u>क–13 व 14</u> के रूप में साबित किया गया। पेपर संख्या–9क/1 गिरफ्तारी मेमो सतीश पुत्र चन्दरू एस0आई0 राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रमाणित किया गया। पेपर संख्या–80 गिरफ्तारी मेमो को प्रदर्श <u>क–15 व 16</u> के रूप में साबित किया गया। गिरफ्तारी मीमो को प्रदर्श <u>क–17 व 18</u> के रूप में साबित किया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र को <u>प्रदर्श क–19</u> के रूप में साबित किया गया। एस0टी0 संख्या–578/2016 सरकार बनाम फारूख की पत्रावली पर पेपर सं0–10 गिरफ्तारी मीमो को <u>प्रदर्श क–20</u> के रूप में साबित किया गया।

18. अभियोजन साक्षी <u>पी0डब्लू0</u>–7 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक श्याम सिंह यादव ने बयान दिया है कि दिनांक 21.09.2013 को वह विशेष जांच प्रकोष्ठ, मुजफ्फरनगर में तैनात था। उस दिन श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश दिनांक 19.09.2013 के अनुसार मु0अ0सं0 407/2013, धारा 147, 148, 149, 307, 336, 353ए, 504, 506, 353, 186 भा0दं0सं0 तथा 7 कि0 लॉ एमेन्डमेंड एक्ट थाना जानसठ की विवेचना उसके सुपुर्द की गयी। उस दिन उसने कार्यालय क्षेत्राधिकारी जाकर पूर्व किता की गयी केस डायरी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया। दिनांक 23.09.2013 को पूर्व किता की गयी केस डायरी प्राप्त कर उसका अवलोकन किया। दिनांक 26.09.2013 मुल्जिमान धर्मवीर, सलेक, रविन्द्र, विक्रम सैनी, रोहताश, सोनू, नूर मौ0, प्रदीप तथा मुकर्रम का रिमाण्ड प्राप्त किया। दिनांक 28.09.2013 को मुल्जिम सतीश का रिमाण्ड प्राप्त किया, उसी दिन वादी मुकदमा एस0एच0ओ0 जानसठ शैलेन्द्र कुमार, एस0आई0 शाहिद अली, एस0आई0 गंगाशरण गौतम, कां0 सचिन कुमार, कां0 विपिन कुमार, कां0 नितिन कुमार तथा कां0 अय्यूब अली के बयान अंकित किये। दिनांक 30.09.2013 को मुल्जिमान उस्मान, शाहजेब, इमरान तथा अबरार का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया। उसी

दिन थाने से गिरफ्तार अभियुक्त फारूख का बयान अंकित किया। दिनांक 01.10. 2013 को एस0आई0 कलीराम, कां0 भगवान सहाय, कां0 राजेन्द्र प्रसाद के बयान अंकित किये। दिनांक 04.10.2013 को वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाने में तहरीर दी। दिनांक 06.10.2013 को 12 मुल्जिमान राकेश वगैराह की गिरफ्तारी हेतु रिपोर्ट दी तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध 82/83 सी0आर0पी0सी0 की आदेश मा0 न्यायालय में रिपोर्ट दी। दिनांक 11.10.2013 को अभियुक्तगण फैसल वगैराह के विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 प्राप्त कर थाने पर दाखिल किये। दिनांक 17.10.2013 को अभियुक्तगण अनीस व फैसल के रोबकार जमानत की नकल की तथा सी0जे0एम0 कोर्ट के पास अभियुक्तगण अनीस, फैसल, के बयान अंकित किये। दिनांक 18.10. 2013 को गिरफ्तारशुदा अभियुक्त राकेश के बयान अंकित किये। दिनांक 21.10.2013 को मुल्जिमान मुकर्रम व मौ0 रफीक उर्फ रफी के बयान अंकित किये। दिनांक 12.11. 2013 को अभियुक्तगण के नाम, पते तस्दीक करने हेतु थाने में रिपोर्ट दी। दिनांक 19. 11.2013 को अभियोग से सम्बन्धित बरामदा रायफल व कारतूसों की परीक्षण हेतु एफ0एस0एल0 भेजने के लिए थाने को पत्र लिखा। दिनांक 26.11.2013 को संकलित साक्ष्य के आधार पर पूर्ण करने विवेचना मुल्जिमान धर्मवीर, सलेकचन्द, रविन्द्र, विक्रम सैनी, रोहताश, मोनू, दीपक पुत्र बिजेन्द्र, प्रदीप, नूर मौ0, मौलाना मुकर्रम, उस्मान, मौ0 अबरार, शाहजेब, इमरान, सतीश, मनोज, फारूख, राकेश सैनी, दीपक पुत्र चन्द्रबोस, अक्षय, धीरज, गुलशन, मौ0 रफीक उर्फ रफी, अनीस, बाबर, शाहनवाज, फैसल तथा मुकर्रम पुत्र जब्बार उर्फ जफर के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–186/13, धारा 147, 148, 149, 307, 326, 353, 186, 504, 506 भा0दं0सं0 व 7 कि0 लॉ0 एमेन्डमेंड एक्ट तैयार कर प्रेषित किया, जिसे प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया गया।

19. अभियोजन के अगले साक्षी पी0डब्लू0–8 एस0आई0 नरेन्द्र सिंह द्वारा सशपथ बयान दिया कि वह दिनांक 29.09.2013 को थाना जानसठ पर बतौर एच0एम0 के पद पर तैनात था। शैलेन्द्र कुमार शर्मा, एस0एच0ओ0 जानसठ की फर्द बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 428/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम फारूख थाना जानसठ पर कायम किया था। चिक एफ0आई0आर0 206/13 उसने किता की थी, जो उसके उसके द्वारा प्रमाणित है, जिसे प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया गया। इसका खुलासा रोजनामचा आम की रपट संख्या–48 समय 21:30 बजे दिनांक 29.09.2013

पर किया था। मूल जी0डी0 समयावधि बीत जाने के कारण नियमानुसार नष्ट की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में रिकॉर्डकीपर कार्यालय एस0एस0पी0, मुजफ्फरनगर की आख्या पत्रावली पर कागज संख्या–94ख के रूप में मौजूद है। इसे प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया गया। मूल जी0डी0 तैयार करते समय कार्बन लगाकर एक ही प्रोसेस में तैयार की थी, पत्रावली पर पेपर संख्या–6क/2 है, जिसे प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया गया।

20. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–9 रिटायर्ड उप निरीक्षक कलीराम ने बयान दिया कि वह दिनांक 29.09.2013 को वह थाना जानसठ पर बतौर एस0आई0 तैनात था। उस दिन थाने पर मु0अ0सं0 428/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम फारूख कायम हुआ, जिसकी विवेचना उसके सुपुर्द की गयी। विवेचना उसने दिनांक 30.09.2013 को प्रारम्भ की। उस दिन केस डायरी में नकल चिक, नकल रपट की। एफ0आई0आर0 लेखक एच0एम0 रविन्द्र सिंह के बयान अंकित किये। अभियुक्त फारूख के बयान अंकित किये। दिनांक 02.10.2013 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार शर्मा गवाह एस0आई0 राजेन्द्र सिंह भड़ाना, कां0 विपिन कुमार, कां0 सचिन कुमार, कां0 संदीप कुमार, कां0 अमित कुमार के बयान अंकित किये तथा वादी मुकदमा शैलेन्द्र कुमार शर्मा की निशानदेही पर घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण किया तथा नक्शा नजरी तैयार किया, जिसकी वह शिनाख्त करता है, जिसे प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया। घटनास्थल पर मौजूद राशिद व अबरार की समाई साक्ष्य अंकित की तथा बाद पूर्ण करने विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त फारूख के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–161/2013 धारा 25 आर्म्स एक्ट प्रेषित किया, जो पत्रावली पर पेपर संख्या–3क है, जिसे प्रदर्श क–11 के रूप में साबित किया गया। दिनांक 05. 10.2013 को गवाहान कां0 विपिन कुमार, कां0 सचिन कुमार, कां0 संदीप कुमार व कां0 अमित कुमार के बयान अंकित किये। दिनांक 25.11.2013 को अभियुक्त फारूख के विरूद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग चलाने हेतु तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर से अनुमति प्राप्त की, जो पत्रावली पर पेपर संख्या–9क है, जिसे प्रदर्श क–12 के रूप में साबित किया गया।

21. बचाव पक्ष की ओर से विधि व्यवस्था **राजकुमार सिंह उर्फ राजू उर्फ बात्या बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2013 (2) जे.सीआर.सी. 1242 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया** तथा **नकुल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2017 (1) जे.सीआर.सी. 821 इलाहाबाद हाई कोर्ट** प्रस्तुत

की गयी हैं।

22. **बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से व सोच–समझकर लिखायी गयी, जबकि अभियोजन की ओर से कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही के बाद समय से लिखायी है।** इस तर्क के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा प्रदर्श क–2 प्रथम सूचना रिपोर्ट जुबानी वादी दिनांक 29.08.2013 को समय 14:20 बजे लिखायी थी। इस जुबानी रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रदर्श क–2 मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें घटना का समय 12 बजे से 12:30 बजे तक का अंकित है तथा रिपोर्ट उसी दिन 14:20 पर अंकित की गयी है। घटनास्थल से थाने की दूरी 5 किलोमीटर बतायी गयी है। मौके पर भीड़ को नियंत्रित करने, अभियुक्तगणों को पकड़ने व उनसे माल मुकदमाती जब्त कर अभियुक्तों व माल की लिखापढ़ी करने में इतना समय लगना स्वाभाविक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट ना तो विलम्बित प्रतीत होती है और ना ही एन्टी टाईम, बल्कि उसी दिन घटना के लगभग दो घण्टे में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गयी है, जो किसी भी स्थिति में विलम्बित नहीं है। अतः बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है।

23. **बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण तथा अभियोजन के गवाहों की मौके पर उपस्थिति संदिग्ध है। अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध कारित नहीं किया है। उन्हें रंजिशन पार्टीबाजी के आधार पर झूठा फंसाया गया है, जबकि अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किया जाना कहा है तथा अभियोजन के गवाहों की मौके पर उपस्थिति साबित है।** उपरोक्त तर्कों के सन्दर्भ में पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रदर्श क–2 प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की लिखायी गयी थी कि दिनांक 29.08.2013 को वह मय अन्य पुलिस कर्मचारीगण के वास्ते शांति व्यवस्था ड्यूटी में ग्राम कवाल में मामूर था कि समय लगभग 12:00 बजे दिन सूचना प्राप्त हुई कि मौहल्ला भूमिया हिन्दू व मुस्लिम समाज के कल कवाल में हुई तोड़फोड़ के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित फोटो को लेकर आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए आपस में भिड़ गये हैं और उनके मध्य पथराव हो रहा है। इस सूचना पर वह मय हमराही पुलिस बल व गांव कवाल में शांति व्यवस्था में लगे कुछ अन्य पुलिस बल को सहायतार्थ हमराह लेकर घटनास्थल मौहल्ला भूमिया में मकान अनीस के पास पहुंचा

तो देखा कि अनीस व अबरार के मकानों पर चढ़े मुस्लिम पक्ष के लोगों व पास में स्थित राजेन्द्र व चन्द्रबोस वाल्मीकि के मकान की छतों व नीचे एकत्रित हिन्दू समाज के लोग एक–दूसरे पर पथराव कर रहे हैं व हाथों में लाठी–डण्डे, भाले, बलकटी, तलवार व नाजायज असलाह लिये हुये हैं और एक–दूसरे को मारने पर उतारू हैं व एक–दूसरे के उपर साम्प्रदायिकता फैलाने वाले एवं समाज में घृणा फैलाने वाले नारे लगाते हुए अपने–अपने पक्ष के लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं। इस पर उसके व हमराह पुलिस बल द्वारा शांति व्यवस्था कायम करने के आशय से उभय पक्षों को समझाने का काफी प्रयास किया, परन्तु दोनों पक्ष अपनी हरकत से बाज नहीं आये और तेज आवाज में उत्तेजित होकर कहने लगे कि पुलिस वालों बीच से अलग हट जाओ वह आज अपना फैसला खुद ही करके हटेंगे। इस पर उसने पुनः दोनों पक्षों से शांति बनाये रखने की अपील की, जिसे अनसुनी करते हुए दोनों पक्षों ने एक राय होकर पुलिस वालों पर व आपस में एक–दूसरे पर जान से मारने की नीयत से पथराव व नाजायज असलहों से फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान मौलाना मुकर्रम अपनी लाईसेंसी रायफल हाथ में लिये अपने 8–10 समर्थकों के साथ ले लो, मार डालो, काट डालो, इन काफिरों को आज मिटा दो और अपनी लाईसेंसी रायफल से फायरिंग शुरू कर दी। जिस पर हिन्दू समाज के दीपक आदि ने भी नाजायज असलहों से फायरिंग शुरू कर दी। इस पर उसके द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से आवश्यक बल प्रयोग करते हुए मौके पर झगडा फसाद कर रहे लोगों में से धर्मवीर पुत्र प्रभु को मय एक बल्लम, सलेकचन्द पुत्र श्यामलाल सैनी को मय एक बल्लम, रविन्द्र पुत्र कलीराम सैनी को मय एक फरसा, विक्रम सैनी पुत्र होशियार सिंह सैनी को मय एक बलकटी, रोहताश पुत्र जयपाल, सोनू पुत्र विजयपाल, दीपक पुत्र बिजेन्द्र, प्रवीण पुत्र बिजेन्द्र सैनी, नूर मौहम्मद पुत्र निसार को मय एक खडग तलवारनुमा समस्त निवासीगण कवाल, थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर को मौके पर ही समय करीब 12:30 बजे दिन पकड़ लिया, जबकि झगडा कर रहे मनोज सैनी पुत्र घसीटा सैनी, सतीश प्रजापति पुत्र चन्दू, राकेश सैनी पुत्र मंगल, दीपक पुत्र चन्द्रबोस वाल्मीकि, अक्षय पुत्र राजेन्द्र वाल्मीकि, गुलशन पुत्र राजू, मुकर्रम पुत्र मौसम अली उर्फ काला, मौ0 रफीक पुत्र निसार, अनीस पुत्र शकूर अहमद, अबरार पुत्र जहीरूदीन टैन्ट वाला, बाबर पुत्र जब्बार उर्फ जफर, फारूख पुत्र जमील, अकील पुत्र जहीरूद्दीन, साजिब पुत्र अबरार, फैसल पुत्र अबरार, इमरान पुत्र तैय्यब, आमरान पुत्र तैय्यब,

मुकर्रम पुत्र जब्बार उर्फ जफर व 30–40 लोग अज्ञात सूरत शिनाख्त, निवासी गांव कवाल मौके से भाग गये। हाथ नहीं आये। भागे मुल्जिमान को चौकी प्रभारी कवाल एस0आई0 श्री कलीराम व राजेन्द्र प्रसाद, भगवान सहाय ने अच्छी तरह से देखा व पहचाना है, जिन्हें वह पूर्व से जानते व पहचानते हैं व अज्ञात भागे हुए व्यक्तियों को सामने आने पर पहचान सकते हैं। घटनास्थल से 3 खोखा 315 बोर ताजे चले हुए व दो बुलेट 315 बोर बरामद हुये, जिन्हें मौके पर ही सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया व लाठी फरसा आदि की चिटबन्दी की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के उक्त कथनों का समर्थन वादी की ओर से बतौर पी0डब्लू0–3 ने अपने सशपथ साक्ष्य में भी किया है तथा कहा है कि दिनांक 29.08.2013 को वह थाना जानसठ पर प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन वह एस0आई0 गंगाशरण, एस0आई0 शाहिद अली, एस0आई0 कलीराम, कां0 सचिन, कां0 विपिन, कां0 अय्यूब अली व कां0 नितिन के साथ सरकारी जीप से गांव कवाल में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में मामूर थे। करीब 12 बजे दिन सूचना मिली कि 28.08.2013 की घटना का प्रकाशन समाचार पत्रों में होने पर भूमिया मौहल्ले में हिन्दू व मुस्लिम समाज के लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप करते हुए आपस में पथराव कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर वह सभी घटनास्थल अनीस व अबरार के मकान पर पहुंचे तो देखा कि उनके मकान की छतों पर व नीचे मौजूद मुस्लिम समाज के लोग राजेन्द्र व चन्द्रबोस के मकानों की छत पर व नीचे मौजूद हिन्दू समाज के लोगों से आपस में लाठी–डण्डे, तलवार व बलकटी तथा नाजायज असलाह लिये हुये आपस में जान से मारने की नीयत से पथराव कर रहे हैं और एक दूसरे को जान से मारने पर उतारू हैं। उन्होंने बाबुलन्द आवाज दोनों पक्षों को समझाने का काफी प्रयास किया, परन्तु सभी नहीं माने और यह बोलते हुए कि पुलिस वालों बीच से हट जाओ वह आज खुद ही फैसला कर लेंगे और पुनः पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान मौलाना मुकर्रम भी अपनी लाईसेंसी रायफल तथा 8–10 साथियों के साथ मौके पर आ गया और यह कहते हुए ''मार डालो, काट डालो इन काफिरों को'' फायरिंग शुरू कर दी। दीपक पुत्र चन्द्रबोस ने भी नाजायज असलाहों से फायरिंग की। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर धर्मवीर को बल्लम, सलेकचन्द को बल्लम, रविन्द्र को फरसा, विक्रम सैनी को बलकटी, रोहताश, सोनू, दीपक, प्रदीप व नूर मौ0 को एक–एक खड़ग तलवारनुमा, समस्त निवासीगण कवाल को मौके पर समय करीब

12:30 बजे दिन पकड़ लिया। इस दौरान मनोज सैनी, सतीश, राकेश, दीपक पुत्र चन्द्रबोस, अक्षय, धीरज, गुलशन, मौ0 रफीक, अनीस, अबरार, बाबर, शाहनवाज, फारू ख, शाहजेब, अकील, फैसल, इमरान, उस्मान, मुकर्रम पुत्र जब्बार, मुकर्रम पुत्र मौसम अली तथा अन्य 30–40 आदमी अज्ञात मौके से भाग गये, जिन्हें चौकी प्रभारी एस0आई0 कलीराम, कां0 भगवान सहाय तथा कां0 राजेन्द्र प्रसाद ने देखा व पहचाना। घटनास्थल से 3 खोखे 315 बोर ताजे चले हुये, 2 बुलेट 315 बोर बरामद हुये, जिन्हें मौके पर कपड़े में रखकर सील सर्वे मुहर किया। हिरासत में लिये व्यक्तियों से बरामदा हथियारों की चिटबन्दी की तथा न्यायालय के समक्ष उक्त हथियारों को वस्तु प्रदर्श 1 लगायत 9 के रूप में साबित किया है।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत पी0डब्लू0–1 द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अपने सशपथ साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 29.08.2013 को वह थाना जानसठ पर बतौर कां0 तैनात था। उपरोक्त दिनांक को वह प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार के साथ मय एस0आई0 शाहिद अली, एस0आई0 कलीराम, एस0आई0 गंगाशरण गौतम, कां0 विपिन कुमार व कां0 नितिन कुमार तथा कां0 अय्यूब अली के साथ सरकारी जीप से शान्ति व्यवस्था ड्यूटी कवाल में मामूर थे। लगभग 12 बजे दिन सूचना मिली कि भूमिया मौहल्ले में 28.08.2013 को कवाल में हुई तोड़फोड़ का समाचार प्रकाशित होने पर आपस में आरोप प्रत्यारोप करते हुये आपस में पथराव हिन्दू–मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। इस सूचना पर घटनास्थल पर अनीस के मकान पर पहुंचे तो देखा कि अनीस व अबरार के मकानों पर चढ़े मुस्लिम समाज के लोग तथा राजेन्द्र व चन्द्रबोस के मकानों की छत पर व नीचे खड़े हिन्दू समाज के लोग आपस में पथराव कर रहे हैं और हाथों में लाठी–डण्डे, बल्लम, बलकटी तलवार व नाजायज असलाह लेकर एक–दूसरे को जान से मारने पर उतारू हैं और समाज में साम्प्रदायिक तनाव व घृणा फैलाने हेतु उत्तेजित कर रहे हैं। पुलिस वालों ने काफी समझाने का प्रयास किया, नहीं माने और कहने लगे कि पुलिस वालों बीच से हट जाओ, आज फैसला होने दो। दोनों पक्षों में आपस में एक–दूसरे के उपर जान से मारने की नीयत से पथराव व फायरिंग शुरू कर दी। मौलाना मुकर्रम लाईसेंसी रायफल लेकर अपने आठ–दस समर्थकों के साथ यह कहते हुए कि मार डालो, इन काफिरों को, मौके पर आ गया और फायरिंग शुरू कर दी। दीपक ने भी नाजायज असलाह से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वालों ने आवश्यक बल प्रयोग कर धर्मवीर

को मय एक बल्लम बांस की लाठी में जडी हुई, सलेकचन्द्र को बलकटी, रविन्द्र को फरसा, विक्रम सैनी को बलकटी, रोहताश, सोनू व दीपक पुत्र बिजेन्द्र व प्रदीप तथा नूर मौहम्मद को एक–एक अदद खडग तलवारनुमा, समस्त निवासीगण ग्राम कवाल को मौके पर समय करीब 12:30 बजे पकड़ लिया तथा मनोज, सतीश, राकेश, दीपक पुत्र चन्द्रबोस, अक्षय, धीरज, गुलशन, मौ0 रफीक, अनीस, अबरार, बाबर, शाहनवाज, फारूख, अकील, शाहजेब, फैसल, इमरान, उस्मान उर्फ कामरान, मुकर्रम पुत्र जब्बार, मुकर्रम पुत्र मौसम अली तथा 30–40 लोग अन्य अज्ञात मौके से भाग गये थे, जो हाथ नहीं आये, जिन्हें एस0आई0 कलीराम व कां0 राजेन्द्र प्रसाद व कां0 भगवान सहाय द्वारा देखने व पहचानने का कथन किया है। इस प्रकार इस गवाह द्वारा भी मुकर्रम व दीपक द्वारा फायरिंग करना और अन्य लोगों द्वारा पथराव करना कहा है तथा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए धर्मवीर, सलेकचन्द, रविन्द्र, विक्रम सैनी, रोहताश, सोनू, दीपक व नूर मौहम्मद को मौके पर ही मय हथियारों के पकड़ लेने का कथन किया है।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह पी0डब्लू0–2 द्वारा भी अपने सशपथ साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कहा है कि दिनांक 29.08.2013 को वह थाना जानसठ पर बतौर एस0आई0 तैनात था। उस दिन वह प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार, एस0आई0 कलीराम, एस0आई0 गंगाशरण, कां0 विपिन, कां0 नितिन, कां0 अय्यूब अली व कां0 सचिन के साथ थाने से सरकारी जीप से गांव कवाल में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में मामूर थे। समय करीब 12 बजे दिन सूचना मिली कि 28.08.2013 को कवाल के भूमिया मौहल्ले में तोड़फोड का समाचार प्रकाशित होने पर हिन्दू–मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में आरोप–प्रत्यारोप करते हुए एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। वह सभी इस सूचना पर अनीस व अबरार के मकान के पास पहुंचे तो वहां छतों पर नीचे मुस्लिम समुदाय के लोग तथा राजेन्द्र व चन्द्रबोस के मकानों की छत पर व नीचे हिन्दू समुदाय के लोग आपस में पथराव कर रहे थे तथा लाठी, डण्डे, बलकटी, बल्लम व अवैध असलाह से एक–दूसरे को जान से मारने पर उतारू हैं और एक–दूसरे को घृणा व साम्प्रदायिक तनाव के लिये उत्तेजित कर रहे हैं। उन लोगों ने काफी समझाने का प्रयास किया तो कहने लगे कि पुलिस वालों बीच से हट जाओ और एक–दूसरे के उपर जान से मारने की नीयत से पथराव व फायरिंग करने लगे। इसी दौरान मौलाना मुकर्रम अपने 8–10 साथियों के साथ लाईसेंसी

रायफल लेकर आ गये और ''मार डालो इन काफिरों को'' वगैरह कहते हुए फायिरंग शुरू कर दी। दीपक ने भी नाजायज असलाह से फायरिंग की थी। पुलिस वालों ने जान की परवाह न करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर धर्मवीर को बल्लम, सलेक चन्द को बलकती, रविन्द्र को फरसा, विक्रम सैनी को बलकटी, रोहताश, सोनू, दीपक पुत्र बिजेन्द्र तथा नूर मौ0 को एक–एक तलवारनुमा खड़ग, समस्त निवासीगण कवाल को मौके पर समय 12:30 बजे दिन पकड़ लिया। मनोज, सतीश, राकेश, दीपक पुत्र चन्द्रबोस, अक्षय, धीरज, गुलशन, मौ0 रफीक, अनीस, अबरार, बाबर, शाहनवाज, फारू ख, शाहजेब, अकील, फैसल, इमरान, उस्मान, मुकर्रम पुत्र जब्बार, मुकर्रम पुत्र मौसम अली तथा अन्य 30–40 आदमी अज्ञात मौके से भाग गये, जिन्हें एस0आई0 कलीराम, भगवान सहाय ने उन्हें देखा व पहचाना था तथा मौके से गिरफ्तार अभियुक्तगण से हथियार के साथ–साथ मौके से तीन खोखा कारतूस 315 बोर व 2 बुलेट 315 बोर बरामद होने का भी कथन किया है।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत पी0डब्लू0–6 द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कहा है कि दिनांक 29.08.2013 को वह पुलिस चौकी कवाल थाना जानसठ पर बतौर कां0 तैनात था। उस दिन करीब 12 बजे दिन सूचना मिली थी कि गांव कवाल में 28.08.2013 को हुई तोड़फोड का समाचार अखबारों में प्रकाशित होने को लेकर मौहल्ला भूमिया में अनीस व अबरार के मकानों पर मुस्लिम समुदाय के लोग तथा राजेन्द्र व चन्द्रबोस के मकानों के सामने हिन्दू समुदाय के लोग खड़े हैं, जो हाथों में नाजायज असलाह लिये हैं, एक–दूसरे पर घृणा फैलाने वाले नारे लगा रहे हैं तथा पथराव कर रहे हैं। वह, एस0आई0 कलीराम व कां0 भगवान सहाय के साथ मौके पर पहुंचा वहां पर कोतवाल साहब व काफी पुलिस बल दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, कोई नहीं माना तथा तेज आवाजों में कहने लगे कि पुलिस वालों हट जाओ आज वह खुद ही फैसला कर लेंगे। इसी दौरान मुकर्रम रायफल लिये हुये अपने समर्थकों के साथ आ गया और आज इन काफिरो को मिटा दो वगैराह–वगैराह कहते हुए फायरिंग शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक महोदय ने झगड़ा कर रहे धर्मवीर, सलेकचन्द, रविन्द्र, विक्रम सैनी, रोहताश, सोनू, नूर मौ0 वगैराह को लाठी–डण्डे तलवार वगैराह के साथ पकड़ा। मुकर्रम, शाहजेब, फैसल, शाहनवाज, आमरान, अबरार, फारूख, दीपक, सतीश, धीरज, राकेश वगैराह मौके से भागना तथा घटनास्थल से 3 खोखे 315 बोर, 2 बुलेट 315 बोर बरामद करने का कथन भी

गवाह द्वारा किया है तथा मौके से मुल्जिमान विक्रम सैनी, रविन्द्र, धर्मवीर, रोहताश, सोनू, दीपक, सलेकचन्द, प्रदीप तथा नूर मौ0 को गिरफ्तार किया गया था तथा मुल्जिम मौलाना मुकर्रम पुत्र मौसम अली को भी गिरफ्तार करने का कथन किया है तथा गिरफ्तारी मेमो को भी गवाह द्वारा साबित किया है।

अभियोजन की ओर से उपरोक्त गवाहों पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2, पी0डब्लू0–3 व पी0डब्लू0–6 के बयानों से स्पष्ट है कि ये लोग सूचना पर घटनास्थल पर आये तथा इनके द्वारा पथराव कर रहे तथा हाथ में लाठी–डण्डो, बल्लम, बलकटी व नाजायज असलाह लिये हिन्दू–मुस्लिम समाज के लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके ना मानने तथा पथराव करने व मौलाना मुकर्रम और दीपक द्वारा फायरिंग करने के कारण पुलिस वालों द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर धर्मवीर को मय बल्लम, सलेकचन्द को बल्लम, रविन्द्र को फरसा, विक्रम सैनी को बलकटी, रोहताश, सोनू व दीपक, प्रदीप तथा नूर मौहम्मद को एक–एक खडग तलवारनुमा हथियार के साथ मौके पर ही पकड़ लिया तथा अन्य मौके से भाग गये, जिनको एस0आई0 कलीराम, कां0 भगवान सहाय व कां0 राजेन्द्र प्रसाद द्वारा देखना व पहचानना बताया है। जहां तक मौके से पकड़े गये लोगों व फायरिंग करते हुए मुकर्रम व दीपक का प्रश्न है सभी गवाहों द्वारा उनकी उपस्थिति को साबित किया है तथा उनसे बरामद हथियारों को भी गवाहों द्वारा साबित किया है। भागने वालों को एस0आई0 कलीराम, भगवान सहाय व राजेन्द्र प्रसाद द्वारा देखना व पहचानना कहा है। ये उपरोक्त लोग ना तो मौके से गिरफ्तार हुए हैं और ना ही इनसे कोई हथियार बरामद हुआ है। अभियोजन की ओर से राजेन्द्र प्रसाद को पी0डब्लू0–6 के रूप में परीक्षित कराया है, जिन्होंने अपने साक्ष्य के पृष्ठ 2 पर मौके से धर्मवीर, सलेक चन्द, रविन्द्र, विक्रम सैनी, रोहताश, सोनू, नूर मौहम्मद वगैराह को लाठ–डण्डों व तलवार के साथ पकड़ना तथा मुकर्रम, शाहजेब, फैसल, शाहनवाज, आमरान, अबरार, फारूख, दीपक, सतीश, धीरज व राकेश वगैराह का मौके से भागना कहा है, लेकिन इस गवाह द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में यह नहीं कहा है कि वह किस तरह भागने वाले अभियुक्तों को पहचानता था और ना ही भागने वाले अभियुक्तों को अपने सशपथ साक्ष्य में व्यक्तिगत रूप से जानना या पहचानना कहा है और ना ही अपने साक्ष्य में वादी मुकदमा या अन्य गवाहों को उनके नाम बताने के सम्बन्ध में कोई कथन किया है, जबकि सभी गवाहों द्वारा भागे हुए मुल्जिमानों को इसी गवाह द्वारा देखना व पहचानना कहा है।

भागे हुए उपरोक्त मुल्जिमानों को देखने व पहचानने के सम्बन्ध में अभियोजन गवाहों की ओर से दो अन्य नाम एस0आई0 कलीराम व कां0 भगवान सहाय का भी लिया गया है, लेकिन एस0आई0 कलीराम, जिसे अभियोजन की ओर से गवाह पी0डब्लू0–9 के रूप में पेश किया गया है। उन्होंने अपने सशपथ साक्ष्य में घटना के सम्बन्ध में कोई बयान नहीं दिया है तथा फारूख के विरूद्ध की गयी विवेचना व आरोप पत्र को ही साबित किया है तथा अपनी जिरह में कहा है कि वह घटना वाले दिन घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। अभियोजन की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि जिन्होंने उपरोक्त अभियुक्तगण भागते हुए देखे वो कोई ओर कलीराम है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षीगण द्वारा जिस तीसरे व्यक्ति कां0 भगवान सहाय द्वारा भागते हुए अभियुक्तगण को देखने व पहचानने का कथन किया है उन्हें अभियोजन की ओर से बतौर साक्षी पेश नहीं किया गया, जो भागते हुए अभियुक्तगणों को देखने, पहचानने के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न करता है, लेकिन पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2, पी0डब्लू0–3 व पी0डब्लू0–6, गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श क–13 व क–14 व प्रदर्श क–2 प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा बरामद हथियार वस्तु प्रदर्श क–1 लगायत वस्तु प्रदर्श क–9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त धर्मवीर से बल्लम, सलेकचन्द से बल्लम, रविन्द्र से फरसा, विक्रम सैनी से बलकटी, रोहताश, सोनू, दीपक, प्रदीप से खडग तलवारनुमा आदि हथियारों से मौके से ही गिरफ्तार किया गया है। गवाहों के बयानों से यह भी साबित है कि अभियुक्तगण एक–दूसरे पर पथराव, उत्तेजक व साम्प्रदायिक नारे लगा रहे थे तथा मौलाना मुकर्रम व दीपक द्वारा आग्नेयास्त्रों का भी प्रयोग करना भी गवाह पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2, पी0डब्लू0–3 व पी0डब्लू0–4 द्वारा देखा गया है। मौके पर बरामद 3 खोखा कारतूस व 2 बुलेट 315 बोर से भी स्पष्ट है कि मौके पर पथराव के साथ–साथ गोलाबारी करते हुए आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। गवाह पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2, पी0डब्लू0–3 व पी0डब्लू0–6 द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में भी एक–दूसरे की मौके पर उपस्थिति को पूर्णतः साबित किया है तथा यह भी साबित किया है कि अभियुक्तगण मौलाना मुकर्रम व दीपक पुत्र चन्द्रबोस द्वारा फायरिंग भी की गयी थी तथा अभियुक्तगण धर्मवीर, सलेकचन्द, रविन्द्र, विक्रम सैनी, रोहताश, सोनू, दीपक पुत्र बिजेन्द्र, प्रदीप व नूर मौहम्मद को हथियारों सहित मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था, जो इन अभियुक्तगणों की मौके पर उपस्थिति को साबित करता है। अतः बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है।

24. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि जनता का कोई साक्षी नहीं है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी गवाह पुलिस कर्मचारी हैं, जिनके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि अभियोजन साक्षीगण विश्वसनीय साक्षी हैं। कोई दुश्मनी नहीं है। उपरोक्त तर्कों के सन्दर्भ में पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस कर्मचारीगण पत्थरबाजी व साम्प्रदायिक उत्तेजक नारों की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। गवाहों के बयानों से यह भी स्पष्ट है कि एक दिन पूर्व तीन युवकों की हत्या के कारण गांव में साम्प्रदायिक तनाव था, जिसके फलस्वरूप यह घटना कारित हुई है। ऐसे में जनता का कोई साक्षी मिलना सम्भव नहीं है। पुलिस मौके पर सूचना पर पहुंची है और अभियुक्तगणों को समझाने का भी उनके द्वारा काफी प्रयास किया गया, लेकिन एक–दूसरे को मारने की नीयत से पथराव और फायरिंग के कारण पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर उपरोक्त अभियुक्तगण को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है और उनके अध्यासन से बलकटी, बल्लम, तलवारनुमा हथियार आदि बरामद किये हैं। पुलिस द्वारा मौके से तीन खोखा कारतूस व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर के बरामद किये हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। पत्रावली पर कागज संख्या–8/7 अभियुक्त रविन्द्र कुमार पुत्र कालीराम का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र संलग्न है, जिसमें उसकी बांयी आंख के उपर माथे पर फटा हुआ घाव साईज 4X 1.5 सेमी0 का घाव दिखाया गया है, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जानसठ के डाक्टर एन0पी0 सिंह द्वारा जारी किया गया है। जो दिनांक 29.08.2013 को समय 05:35 पी0एम0 बजे निष्पादित है। उक्त चोट को कठोर व कुन्द चीज से आना बताया गया है तथा अवधि ताजा बतायी गयी है। उक्त मेडिकल रिपोर्ट को अभियोजन की ओर से साबित नहीं किया गया है, लेकिन इससे इस बात को बल मिलता है कि दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ था और यह चोट उस पथराव का परिणाम हो सकती है। उक्त चोट को ना तो अभियोजन की ओर से स्पष्ट किया गया और ना ही बचाव पक्ष की ओर से स्पष्ट किया गया है। अभियोजन का कथन भी यही है कि मौके पर पथराव किया गया था। सिर्फ जनता का गवाह ना होने मात्र से ही अभियोजन कथानक झूठा साबित नहीं हो जाता है, जबकि किसी अभियुक्त की किसी पुलिस वाले से दुश्मनी भी साबित नहीं है। न्यायालय बचाव पक्ष के तर्क से सहमत नहीं है कि अगर पुलिस साक्षी विश्वसनीय हो तो उसके आधार पर भी दोषसिद्धि नहीं हो सकती।

पुलिस कर्मचारी का साक्ष्य वही महत्व रखता है जो किसी दूसरे साक्षी के साक्ष्य का है। ऐसा कोई विधि का सिद्धान्त नहीं है कि पुलिस कर्मचारी पर विश्वास नहीं किया जा सकता और ना ही ऐसा कोई नियम है जिसके अधीन पुलिस कर्मचारी किसी वाद में चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हो सकते। यदि पुलिसकर्मी विश्वसनीय, सत्य साक्षी हैं और उनका साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद अन्य साक्ष्य से सुसंगत है तो उनके साक्ष्य के आधार पर ही दोषसिद्धि की जा सकती है, यदि उसके साक्ष्य का न्यायालय द्वारा बारीकी से अध्ययन करने के बाद उसे विश्वसनीय माना है, जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **गोविन्द राजू उर्फ गोविन्दा बनाम स्टेट ऑफ श्रीरामापुरम पी0एस0 व अन्य ए0आई0आर0 2012 सुप्रीम कोर्ट 1292** व **गिरिजा प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ एम0पी0 ए0आई0आर0 2007 एस0सी0 3106** में प्रतिपादित किया है।

इसी प्रकार यदि पुलिस साक्षी भरोसेमंद और विश्वसनीय हैं और उसकी कोई दुश्मनी नहीं है तो सिर्फ इस आधार पर कि स्वतंत्र साक्षी नहीं हैं, उसके साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रिजवान खान बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ 2020 ए0आई0आर0 सुप्रीम कोर्ट 4297** में प्रतिपादित किया है। यहां तक कि सिर्फ पुलिस साक्षी के साक्ष्य के आधार पर ही दोषसिद्धि की जा सकती है, इसी प्रकार यदि बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और पुलिस कर्मचारी द्वारा बरामदगी के सम्बन्ध में साक्ष्य दिया है तो उस बरामदगी पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में भी पुलिस द्वारा बड़ी घटना को रोकने के लिए मौके पर आवश्यक बल प्रयोग किया गया था। ऐसे में यदि जनता का गवाह नहीं है तो अभियुक्तगण से की गयी बरामदगी अविश्वसनीय नहीं हो जाती, जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **संदीप बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 (2012) 6 एस0सी0सी0 107** में प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकरण में भी घटना गांव की है और जनता के साक्षी बरामदगी के समय उसका साक्षी बनने में कतराते हैं। सिर्फ इस आधार पर बरामदगी सन्देहास्पद नहीं हो जाती। जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रविन्द्र सन्ताराम सावन्त बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट ए0आई0आर0 2002 सुप्रीम कोर्ट 2461** में प्रतिपादित किया है। प्रस्तुत वाद के तथ्य परिस्थितियों में अभियोजन साक्षीगण विश्वसनीय व भरोसेमंद साक्षी हैं। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत विधिक नजीर **नकुल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2017 (1) जे.सीआर.सी. 821 इलाहाबाद हाई कोर्ट** वाद के तथ्यों परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण इस वाद पर लागू नहीं होती है। अतः

बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि यदि जनता का कोई साक्षी नहीं है तो वह दोषमुक्ति के अधिकारी हैं।

25. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण से आग्नेयास्त्र बरामद नहीं है तथा 5 लोगों पर एक तलवार को दिखाया गया है तथा बलकटी व बल्लम हर किसान के घर में होते हैं तथा नक्शा नजरी गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाता, जबकि अभियोजन की ओर से कहा गया है कि मौलाना मुकर्रम व दीपक द्वारा आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया है। मुकर्रम द्वारा प्रयोग किया गया आग्नेयास्त्र रायफल अभियुक्त फारूख से बरामद हुई है तथा गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बरामद बलकटी, बल्लम व खडग को हथियार के रूप में प्रयोग किया है तथा नक्शा नजरी साबित है। उपरोक्त तर्कों के सन्दर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गवाह पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2, पी0डब्लू0–3 व पी0डब्लू0–6 की मौके पर उपस्थिति साबित है। सभी गवाहों द्वारा मौलाना मुकर्रम व दीपक पुत्र चन्द्रबोस द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जाना कहा है। साक्ष्य के अनुसार मौलाना मुकर्रम द्वारा प्रयोग किया गया आग्नेयास्त्र अभियुक्त फारूख से बरामद किया गया है, जिसकी बरामदगी प्रदर्श क–5 पत्रावली पर पी0डब्लू0–3 द्वारा साबित की गयी है। यह सही है कि बलकटी कृषि कार्य हेतु भी किसानों द्वारा प्रयोग में लायी जाती है, लेकिन इसका प्रयोग अपने विरोधी के विरूद्ध हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसाकि पी0डब्लू0–6 द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य के पृष्ठ 6 पर कहा है कि बरामद हथियार आमतौर पर घर में रहते हैं, लेकिन उस दिन झगड़े के उद्देश्य से इन हथियारों का प्रयोग हो रहा था। जहां तक बल्लम व तलवारनुमा हथियार का प्रश्न है, उक्त हथियार का प्रयोग अवैध रूप से अपराध करने में प्रयोग किया जाता है। अभियुक्त रोहताश, सोनू, दीपक, प्रदीप व नूर मौहम्मद पर तलवारनुमा खडग दिखाया गया है। किसी भी साक्षी द्वारा यह नहीं कहा गया है कि 5 लोग एक ही तलवार का प्रयोग कर रहे थे, बल्कि पांचों लोगों पर अलग–अलग तलवारनुमा हथियार थे, जो प्रदर्श क–2 तथा पी0डब्लू0–2 के सशपथ साक्ष्य के पृष्ठ 2 से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि रोहताश, सोनू, दीपक, प्रदीप व नूर मौहम्मद को एक–एक तलवारनुमा खडग के साथ पकड़ा जाना कहा है। इसी प्रकार पी0डब्लू0–1 द्वारा भी इन पांचों को एक–एक तलवारनुमा खडग के साथ पकड़ने का कथन किया है। यदि विवेचक द्वारा दीपक पुत्र चन्द्रबोस से हथियार बरामद नहीं किया है तो यह विवेचक की गलती है। इसी प्रकार

यदि सिर्फ एक ही तलवार को वस्तु प्रदर्श के रूप में बलकटी, बल्लम व खडगनुमा तलवार के साथ साबित कराया गया है तो यह भी अभियोजन पक्ष की एक कमी है। विवेचक की विवेचना के दौरान की गयी किसी कमी या लापरवाही का विशेष प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ता है, चूंकि अभियोजन कथानक चक्षुदर्शी व विश्वसनीय साक्षीगण द्वारा साबित है। हथियार की बरामदगी का अभाव स्वमेव अभियोजन कथनों को नकारने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि अभियोजन कथन अन्य हथियारों की बरामदगी से सिद्ध है तथा मौखिक कथनों से समर्थित है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **संजीव कुमार गुप्ता बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 (अब स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड) 2015 (2) जे0सी0सी0 1099** में प्रतिपादित किया है। यदि विवेचना में कोई कमी है और वह कमी अभियुक्त के अपराध पर सन्देह कारित नहीं करता है, तो न्यायालय उसके आधार पर अभियोजन कथानक को नकार नहीं सकता है, जैसा कि **बाबू व अन्य बनाम स्टेट रिप0 द्वारा इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस चिन्नई तथा इलुमलई एवं एक अन्य बनाम स्टेट रिप0 द्वारा इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस चिन्नई 2013 ए0आई0ए0आर0 (क्रिम0) 448** सुप्रीम कोर्ट के पैरा–डी में प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार विवेचना में कमी व अयोग्यता व अक्षमता, दोशमुक्ति का आधार नहीं हो सकती है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **काशीनाथ मोनडल बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2012 (3) जे0आई0सी0 661 (एस0सी0)** में प्रतिपादित किया गया है। अतः बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है।

जहां तक गवाहों के बयानों अन्तर का प्रश्न है नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 पी0डब्लू0–5 राजेन्द्र सिंह भड़ाना प्रथम विवेचक द्वारा साबित किया है, जिसमें घटना स्थल का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें उन मकानों को एक्स0ए0 से दर्शाया गया है, जहां से मुस्लिम पक्ष के लोग हिन्दुओं के उपर पथराव व फायरिंग कर रहे थे तथा एक्स0बी0 से उन मकानों को दिखाया गया है, जहां से हिन्दू पक्ष के लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पथराव व फायरिंग कर रहे थे। इसी नक्शे में विवेचक द्वारा पुलिस पार्टी के आने का रास्ता भी दिखाया है तथा वह स्थान डी0 भी दर्शाया गया है जहां से विक्रम आदि को गिरफ्तार करना बताया तथा स्थान ई0 से अभियुक्त नूर मौहम्मद को गिरफ्तार करना भी बताया गया है। प्रदर्श क–5 को गवाह पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2, पी0डब्लू0–3 व पी0डब्लू0–6 के बयानों से भी पूर्णतः समर्थन मिलता है तथा पी0डब्लू0–5 द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य से उसे साबित किया

है। ऐसे में बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि नक्शा नजरी और गवाहों के बयानों में अन्तर हो।

26. वाद के तथ्य परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण मुकर्रम, दीपक पुत्र चन्द्रबोस तथा मौके से गिरफ्तार अभियुक्तगण धर्मवीर, सलेकचन्द, रविन्द्र, विक्रम सैनी, रोहताश, सोनू, दीपक पुत्र बिजेन्द्र, प्रदीप व नूर मौहम्मद द्वारा एक–दूसरे पर आपराधिक बल का प्रदर्शन करते हुए पथराव व फायरिंग कर विधि विरूद्ध जमाव गठित किया तथा साम्प्रदायिक आधार पर सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल व हिंसा का प्रयोग किया। जो भा0दं0सं0 की धारा 147 की परिधि में आता है। अभियुक्तगण द्वारा घातक हथियारों का प्रयोग कर तथा बलकटी, बल्लम, तलवार का प्रयोग किया, जो यदि किसी को लग जाती तो उसकी मृत्यु होना भी सम्भव थी। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में अपराध कारित किया है, जिसके लिए उपरोक्त सभी अभियुक्तगण विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य होने के नाते समान रूप से दोषी हैं, जो भा0दं0सं0 की धारा 148 की परिधि में आता है। अभियुक्तगण द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों के साथ–साथ पुलिस दल को भी पथराव करके कर्त्तव्यों के निर्वहन में भयोपरत करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया, जो भा0दं0सं0 की धारा 353 की परिधि में आता है। इसी प्रकार पुलिस दल के समझाने के बावजूद भी अभियुक्तगणों द्वारा पथराव व फायरिंग की और पुलिस दल के लोक कर्त्तव्यों में बाधा डाली जो धारा 186 भा0दं0सं0 की परिधि में आता है। इसी प्रकार अभियुक्तगण द्वारा दूसरे पक्ष को साशय अपमानित करने उन्हें काफिर या अन्य शब्दों का प्रयोग कर प्रकोपित करने, जिससे गांव की शांति भंग हुई तथा एक–दूसरे को जान से मारने की धमकी दी, जो धारा 504, 506 भा0दं0सं0 की परिधि में आता है। इसके साथ–साथ अभियुक्तगणों द्वारा एक–दूसरे के उपर पथराव करके अवैध तथा घातक हथियारों से लैस होकर पुलिस तथा अन्य को भयभीत करने के आशय/उद्देश्य से बलवा किया, जो कि0 लॉ एमे0 एक्ट की धारा 7 की परिधि में आता है। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अपराध अवैध जमाव कर सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में बलवा करने के लिए बल व हिंसा का प्रयोग किया। ऐसे में अवैध जमाव का प्रत्येक सदस्य, जो उस अपराध को किये जाने के समय जमाव का सदस्य था, दोषी होगा। जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **इन्दर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2015 ए0आई0आर0 (एस0सी0डब्लू0) 691** में प्रतिपादित किया है।

अभियुक्तगण द्वारा एक–दूसरे पक्ष पर पथराव व फायरिंग कर दंगा व बलवा करने के उद्‌देश्य से अपराध कारित किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी अभियुक्तगण का आशय एक था तथा एक ही उद्‌देश्य था, अन्यथा वे इस तरह एक राय होकर पहले एक–दूसरे पर और फिर पुलिस पर पथराव नहीं करते। विधि विरूद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य द्वारा किये गये कृत्य के लिये उस विधि विरूद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य उत्तरदायी होता है। भले ही उसके द्वारा वह कृत्य न किया गया हो, जैसे कि **यूनिस उर्फ करिया बनाम् स्टेट ऑफ एम0पी0 ए0आई0आर0 2003, एस0सी0, 539** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है।

जहां तक धारा 307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोपित अपराध का प्रश्न है अभियुक्तगण द्वारा मौके पर पथराव व फायरिंग करना तो साबित है, लेकिन गवाहों के साक्ष्य के अनुसार किसी भी पुलिस बल या जनता के लोगों को शारीरिक क्षति नहीं पहुंची है, जिससे मृत्यु कारित हो सकती हो और ना ही ऐसा कोई चिकित्सकीय प्रमाण पत्र है जो किसी पुलिसकर्मी को चोटिल दिखाता हो। ऐसे में अभियुक्तगण द्वारा धारा 307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अपराध कारित करने में सन्देह है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 307 भा0दं0सं0 का अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में धारा 307 भा0दं0सं0 में अभियुक्त को सन्देह का लाभ दिया जाना उचित होगा। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजकुमार सिंह उर्फ राजू उर्फ बात्या बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2013 (2) जे.सीआर.सी. 1242 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया** में प्रतिपादित किया है, लेकिन अभियुक्तगणों द्वारा एक–दूसरे पक्ष पर पथराव तथा फायरिंग कर उतावलापन, उपेक्षा दिखाते हुए मानव जीवन व एक–दूसरे को संकट में डाला, जो भा0दं0सं0 की धारा 336 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

27. अतः वाद के तथ्य परिस्थितियों व पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण मुकर्रम, दीपक पुत्र चन्द्रबोस तथा मौके से गिरफ्तार अभियुक्तगण धर्मवीर, सलेकचन्द, रविन्द्र, विक्रम सैनी, रोहताश, सोनू, दीपक पुत्र बिजेन्द्र, प्रदीप व नूर मौहम्मद के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 336, 353, 504, 506 सपठित धारा 149 व धारा 7 क्रि0 लॉ0 एमे0 एक्ट का अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। जबकि धारा 307 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 का आरोप युक्तियुक्त सन्देह के परे साबित करने में

असफल रहा है।

अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण मनोज सैनी, राजेश सैनी, अक्षय, धीरज, गुलशन, मुकर्रम पुत्र जब्बार, मौ0 रफीक, अनीस, अबरार, बाबर, शहनवाज, फारूख, साजिद, फैजल, इमरान उस्मान उर्फ आमरान के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 307, 336, 353, 504, 506 भा0दं0सं0 व 7 क्रि0 एमे0 एक्ट युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है, क्योंकि ये अभियुक्तगण ना तो मौके से गिरफ्तार हुए हैं ना ही इनसे कोई हथियार बरामद हुआ है और ना ही जिन गवाहों के आधार पर वादी द्वारा इनका नाम लिया गया था, उनके द्वारा इनकी उपस्थिति को साबित किया है। अतः सन्देह का लाभ इन अभियुक्तगण को दिया जाना विधि सम्मत होगा।

28. जहां तक अभियुक्त फारूख के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट को साबित करने का प्रश्न है अभियुक्त फारूख से अवैध हथियार रायफल 315 बोर की उसके घर से तथा दो कारतूस जिन्दा उसकी पहनी कमीज से बरामद हुए है, जिसकी पुष्टि फर्द प्रदर्श क–5 से भी होती है, उक्त फर्द को अपने सशपथ बयान से पी0डब्लू0–3 द्वारा साबित किया है, जिसके आधार पर अभियुक्त फारूख के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ, जो प्रदर्श क–7 से स्पष्ट है, जिसे पी0डब्लू0–8 द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य से साबित किया है, जिसका रोजनामचा नं0–48 दिनांक 29.09.2013 प्रदर्श क–9 अभियोजन की साक्षी पी0डब्लू0–8 द्वारा साबित किया गया है। माल मुकदमाती प्रश्नगत देशी रायफल की बरामदगी का नक्शा नजरी प्रदर्श क–10 को विवेचक द्वारा बनाया गया है, जिसमें चिह्न ''ए'' से अभियुक्त फारूख के कब्जे से देशी रायफल व जेब से दो अलग जिन्दा कारतूस बरामद होना दिखाया है। उक्त नक्शा नजरी को अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–9 द्वारा साबित किया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा चलाये जाने हेतु अनुमति पत्र जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा द्वारा निर्गत किया गया है, जिसे गवाह पी0डब्लू0–9 द्वारा साबित किया है। अभियुक्त फारूख के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम प्रदर्श क–11 गवाह पी0डब्लू0–9 द्वारा साबित किया है। इस प्रकार अभियुक्त फारूख के विरूद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से अपने गवाहों के माध्यम से अपने केस को साबित किया है। बचाव पक्ष का यह कहना कि बरामदगी में जनता का कोई गवाह नहीं है, वाद के तथ्य और परिस्थितियों में विशेष महत्व नहीं रखता। जनता के गवाह ना होने मात्र से अभियोजन कथानक व बरामदगी झूठी साबित नहीं होती है, जैसाकि

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **रतिराम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2013 (81) ए0सी0सी0 550 इलाहाबाद** में प्रतिपादित किया है। विवेचक का बतौर उप–निरीक्षक वादी के साथ उसी थाने में कार्यरत होने मात्र से ही विवेचक द्वारा की गयी सभी कार्यवाहियां व विवेचना अवैध व अविश्वसनीय नहीं हो जाती हैं। सिर्फ जनता के साक्षीगण की उपस्थिति के आधार पर पुलिस साक्षीगण के समक्ष की गयी फर्द बरामदगी की कार्यवाही संदिग्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि जनता के गवाह बरामदगी के गवाह बनने में अनिच्छुक रहते हैं तथा तैयार नहीं होते हैं। जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रविन्द्र सन्ताराम सावन्त बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट ए0आई0आर0 2002 सुप्रीम कोर्ट 2461** में प्रतिपादित किया है। अभियुक्त को अन्यथा फंसाये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः अभियुक्त फारूख से अवैध रायफल मय दो कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। जो वस्तु प्रदर्श 6 तथा वस्तु प्रदर्श 7 और 8 हैं, जिन्हें गवाह पी0डब्लू0–3 द्वारा साबित किया गया है। अतः अभियुक्त फारूख द्वारा कारित अपराध धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त फारूख के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्त फारूख अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

29. अतः वाद के तथ्य परिस्थितियों एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य तथा विधिक नजीरों के प्रकाश में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियुक्तगण धर्मवीर, सलेकचन्द, रविन्द्र, विकम सैनी, रोहताश, सोनू, दीपक पुत्र बिजेन्द्र, प्रदीप, नूर मौहम्मद द्वारा घटनास्थल पर अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति में विधि विरूद्ध जमाव बनाते हुए एक–दूसरे पक्ष पर उत्तेजक व साम्प्रदायिक नारे लगाते हुए पथराव किया तथा मौलाना मुकर्रम पुत्र मौसम अली तथा दीपक पुत्र चन्द्रबोस ने मौके पर फायरिंग भी की। अतः अभियोजन उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 336 सपठित 149, 353, 504, 506 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 तथा धारा 7 कि0 लॉ0 एमे0 एक्ट के अन्तर्गत आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण आरोपित अपराध धारा 147, 148, 336 सपठित 149, 353, 504, 506 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 तथा धारा 7 कि0 लॉ0 एमे0 एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं तथा आरोपित अपराध धारा

307 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण धारा 307 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत सन्देह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त होने योग्य हैं।

30. अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण मनोज सैनी, राकेश सैनी, अक्षय, धीरज, गुलशन, मौ0 रफीक उर्फ रफी, अनीस, अबरार, बाबर, शहनवाज, फारूख, साजिद उर्फ शाहजेब, फैजल, इमरान, उस्मान उर्फ आमरान व मुकर्रम पुत्र जब्बार उर्फ जफर के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 307 सपठित धारा 149, 336 सपठित धारा 149, 353, 504, 506 भा0दं0सं0 तथा धारा 7 कि0 लॉ0 एमे0 एक्ट के अन्तर्गत युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण सन्देह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

31. अभियुक्त फारूख आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या–1172 सन् 2015, मु0अ0सं0 407/2013, थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर में अभियुक्तगण मनोज सैनी, राकेश सैनी, अक्षय, धीरज, गुलशन, मौ0 रफीक उर्फ रफी, अनीस, अबरार, बाबर, शहनवाज, फारूख, साजिद उर्फ शाहजेब, फैजल, इमरान, उस्मान उर्फ आमरान व मुकर्रम पुत्र जब्बार उर्फ जफर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 307 सपठित धारा 149, 336 सपठित धारा 149, 353, 504, 506 भा0दं0सं0 तथा धारा 7 कि0 लॉ0 एमेन्डमेंड एक्ट के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानतियों को उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण मनोज सैनी, राकेश सैनी, अक्षय, धीरज, गुलशन, मौ0 रफीक उर्फ रफी, अनीस, अबरार, बाबर, शहनवाज, फारूख, साजिद उर्फ शाहजेब, फैजल, इमरान, उस्मान उर्फ आमरान व मुकर्रम पुत्र जब्बार उर्फ जफर प्रत्येक को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अधीन मु. 25,000/–के व्यक्तिगत बंध पत्र तथा सामान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करें।

सत्र परीक्षण संख्या–1172 सन् 2015, मु0अ0सं0 407/2013, थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर में अभियुक्तगण धर्मवीर, सलेकचन्द, रविन्द्र, विक्रम सैनी, रोहताश, सोनू, दीपक पुत्र बिजेन्द्र, प्रदीप, नूर मौहम्मद तथा मौलाना मुकर्रम पुत्र मौसम अली

तथा दीपक पुत्र चन्द्रबोस को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 307 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 336 सपठित 149, 353, 504, 506 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 तथा धारा 7 कि0 लॉ0 एमेन्डमेंड एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अतः उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या–578 सन् 2016, मु0अ0सं0 428/2013, थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर में अभियुक्त फारूख पुत्र जमील को धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। अतः उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

अभियुक्तगण धर्मवीर, सलेकचन्द, रविन्द्र, विक्रम सैनी, रोहताश, सोनू, दीपक पुत्र बिजेन्द्र, प्रदीप, नूर मौहम्मद तथा मौलाना मुकर्रम पुत्र मौसम अली तथा दीपक पुत्र चन्द्रबोस तथा अभियुक्त फारूख को दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली भोजनावकाश के बाद पेश हो।

(गोपाल उपाध्याय),
दिनांकः 11–10–2022 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश, एम0पी0/एम0एल0ए0 कोर्ट,
मुजफ्फरनगर।
जे0ओ0 कोड यू0पी0–05990

<u>11.10.2022</u>

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु बाद भोजनावकाश पेश हुयी।

अभियुक्तगण धर्मवीर, सलेकचन्द, रविन्द्र, विक्रम सैनी, रोहताश, सोनू, दीपक पुत्र बिजेन्द्र, प्रदीप, नूर मौहम्मद, मौलाना मुकर्रम पुत्र मौसम अली, दीपक पुत्र चन्द्रबोस तथा अभियुक्त फारूख न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हैं।

दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण गरीब हैं। अभियुक्त विक्रम सैनी वर्तमान में विधायक हैं तथा इनका स्वास्थ्य खराब है। अतः अभियुक्तगण को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध समाज में साम्प्रदायिक माहौल को खराब करता है, जो समाज पर विपरीत प्रभाव डालता है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः उन्हें अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

उभय पक्षों के तर्कों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं साक्ष्य का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण द्वारा दो दिन पूर्व हुई हत्या की प्रतिक्रिया में एक–दूसरे पक्षों के साथ–साथ पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया व मौके पर फायरिंग की तथा उत्तेजक नारे लगाये। अभियुक्तगण के इस कृत्य से गांव के साम्प्रदायिक सद्भाव व शान्ति व्यवस्था पर असर पड़ा। ऐसे ही कुछ कृत्यों के कारण जिला मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक दंगे हुये, जिसमें कई जानें गई और जनपद का माहौल खराब हुआ था। अतः वाद के तथ्य व परिस्थितियों में अभियुक्तगण को प्रथम अपराध या प्रोबेशन का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक अभियुक्तगण को निम्न दण्डादेश से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगीः–

आदेश

अभियुक्तगण धर्मवीर, सलेकचन्द, रविन्द्र, विक्रम सैनी, रोहताश, सोनू, दीपक पुत्र बिजेन्द्र, प्रदीप, नूर मौहम्मद, मौलाना मुकर्रम पुत्र मौसम अली तथा दीपक पुत्र चन्द्रबोस प्रत्येक को धारा 147 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 01–01 वर्ष के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा–

धारा 148 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 02–02 वर्ष का कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्तगण को मु0 5,000/–5,000/–(पांच–पांच हजार) रूपये के अर्थ दण्ड से तथा अर्थ दण्ड अदा न किये जाने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को 02–02 (दो–दो) माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा–

धारा 336 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 02–02 माह के कारावास से दण्डित किया जाता है।

धारा 353 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 01–01 वर्ष का कारावास से दण्डित किया

जाता है तथा–

धारा 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 01–01 वर्ष का कारावास से दण्डित किया जाता है तथा–

धारा 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 02–02 वर्ष का कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्तगण को मु0 5,000/–5,000/–(पांच–पांच हजार) रूपये के अर्थ दण्ड से तथा अर्थ दण्ड अदा न किये जाने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को 02–02 (दो–दो) माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त को तथा धारा 7 कि0 लॉ0 एमेन्डमेंड एक्ट के अन्तर्गत 06–06 माह के कारावास से दण्डित किया जाता है।

उपरोक्त प्रत्येक अभियुक्तगण की सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी। प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि को उक्त सजाओं में समायोजित किया जायेगा।

अभियुक्तगण के सजायावी वारंट बनाकर उन्हें सजा भोगने हेतु जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

इस निर्णय की एक–एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

अभियुक्त फारूख को धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत 01 वर्ष के दण्ड से एवं अभियुक्त उपरोक्त को मु0 5,000/–(पांच हजार) रूपये के अर्थ दण्ड से तथा अर्थ दण्ड अदा न किये जाने पर अभियुक्त उपरोक्त को 01 (एक) माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त फारूख द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि को उक्त सजा में समायोजित किया जायेगा।

अभियुक्त फारूख के सजायावी वारंट बनाकर उसे सजा भोगने हेतु जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या–578 सन् 2016, सरकार बनाम फारूख की पत्रावली में रखी जाये।

(गोपाल उपाध्याय),
दिनांकः 11–10–2022
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश, एम0पी0/एम0एल0ए0 कोर्ट,
मुजफ्फरनगर।
जे0ओ0 कोड यू0पी0–05990

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल उपाध्याय),
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश, एम0पी0/एम0एल0ए0 कोर्ट,
मुजफ्फरनगर।
जे0ओ0 कोड यू0पी0–05990

दिनांकः 11–10–2022